नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 137198

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

दिनांक 10.10.2018

संख्या 7886

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
2071	1–110820	1993-1994

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ई–2938, राजाजीपुरम, लखनऊ। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1223 दिनांक 05-10-1993 दिनांक

05-10-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 08-10-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 2 सो० फर्म एण्ड चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क०/टी०/आफसेट)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13AB 681044

UTTAR PRADESH

महात्मा बुद्ध लोक कल्याण
एवं ग्राम्य विकास संस्थान 110820
लखनऊ
निष्पादित

17/2/11

President
Mahatama Buddha Lok Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान ।
(2) संस्था का पता :: ई– 2038, राजाजी पुरम, लखनऊ ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत ।
(4) संस्था के उद्देश्य ::

1. भारतीय संस्कृति,चिन्तन व दर्शन की मुख्य धारा " सर्व जन हिताय " वसुधैव कुटुम्बकम " एवं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति जनता को जागृत कर जाति,वर्ग,सम्प्रदाय,क्षेत्रवाद व धार्मिक उन्मत्ता जैसी संकीर्णता,आतंकवाद व विघटनकारी शक्तियों के षडयन्त्रों का समाप्त करना जिसके लिए स्वयं सेवी देशभक्तों का दल तैयार कर उनके द्वारा जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्प्रेरित करना तथा जाति व सम्प्रदाय विहीन समाज की रचना हेतु प्रयास करना ।
2. सम्पूर्ण मानव समाज विश्वबन्धुत्व की भावना को व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से (कृषक, व्यवसायी व मजदूर वर्ग) को उनके हित में संगठित कर उनमें पारस्परिक सहयोग एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण पैदा करना ।
3. मद्य निषेध व नशीली वस्तुओं के सेवन से जन साधारण को रोकने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकारों के कार्यक्रमों को आयोजित करना ।
4. शिशुओं,बालक–बालिकाओं,महिलाओं व अशिक्षित लोगों के शैक्षिक ,सामाजिक,आर्थिक व नैतिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु विद्यालय,नि:शुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय, अनाथालय, आंगनवाड़ी केन्द्र,प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र,सिलाई,कढ़ाई व बुनाई आदि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व संचालित करना ।
5. विकलांगों ,निराश्रित व विधवा महिलाओं के सहायतार्थ सरकार व स्वैच्छिक संस्थाओं से सहयोग दिलाने व देने तथा उन्हें निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का प्रयास करना । विकलांगों व निराश्रितों के लिए नि:शुल्क रेलवे व हवाई यात्रा हेतु पास,नि:शुल्क चिकित्सालय व वाचनालय मनोरंजन व स्वरोजगार की व्यवस्था करना ।
6. प्रतिभाशाली व जरूरतमंद छात्र छात्राओं की समुचित शिक्षा,प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता आदि की व्यवस्था करना ।
7. ग्रामीणों एवं समाज के गरीब जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन व आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारने हेतु ... केन्द्र,नि:शुल्क औषधालय,शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए कृषि, पशुपालन व बागवानी पर आधारित लघु कुटीर उद्योग स्थापित करना तथा खादी ग्रामोद्योग व पंचायत उद्योगों के उन्नयन व ग्राम्य विकास हेतु कार्य करना ।
8. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा ऊसर, परती, बंजर,नजूल,गड्ढों ,तालाबों,नदियों,नहरों व सड़कों के किनारे पड़ी बेकार भूमि को उपयोगी बनाना तथा उन पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, स्कूल, कालेज, चिकित्सालय,प्रशिक्षण केन्द्र ...शाला,सभागार,धर्मशाला,पार्क,शौचालय व महापुरुषों की स्मृति में स्मारक आदि का निर्माण करना व कराने हेतु प्रयत्न करना । साथ ही भूमि की बर्बादी व अनुपयोगी कार्यों से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाना ।

सत्य प्रतिलिपि

President
Mahatma Buddha Lok Kalyan & Gram Vikas Sansthan

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

देश या प्रदेश में आकस्मिक आपदा जैसे बाढ़,सूखा,युद्ध आदि में राहत कोष एकत्र कर
9. जनता की हर सम्भव सहायता करना ।
मलिन बस्तियों व सफाई मजदूरों की मुक्ति हेतु शौचालयों का निर्माण कराना ताकि
10. गन्दी टूटी फूटी सड़कों / रास्तों की सफाई व सुधार सम्बन्धी कार्य करना ।
किसानों को आधुनिक कृषि,उत्तम बीजों,खादों व कृषि उपकरणों की जानकारी कराने
11. हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, शिविर व सेमिनार आदि का अयोजन करना ।
भारतीय संविधान के अर्न्तगत सरकार द्वारा लोक कल्याण सम्बन्धी की जाने वाली सभी
12. व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में सरकारी की मदद / सहयोग करना तथा जनता को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन व अधिकारों की रक्षा हेतु जागृत करना और इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करना । साथ ही समाज में व्याप्त प्रदूषण से जन साधारण को बचाने हेतु उन्हें जागृत करना ।
13. जनता को सस्ती,सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
14. संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र–पत्रिकायें,समाचार पत्र,उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना,सभा,गोष्ठी,सम्मेलन,खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना
15. बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ,बौद्ध विहारों की स्थापना,बौद्ध दीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
16. बौद्ध धर्म सम्राट अशोक महान से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन एवं उनके स्मृति [illegible] व्यक्तिक पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करना ।
17. बौद्ध धर्म व अल्प संख्यक छात्र–छात्राओं के भलाई,उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करना ।
18. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु उर्दू,अरबी,फारसी, मदरसा बोर्ड से [illegible] शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना । तथा उर्दू,अरबी,फारसी एवं पाली भाषा का प्रचार प्रसार एवं शिक्षा व्यवस्था करना ।

(सत्यप्रतिलिपि) हस्ताक्षरः

1 [signature]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

President
Mahatma Buddha L. Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

[illegible]

1. संस्था का नाम : महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान

2. संस्था का पूरा पता : सी0 2938- राजाजीपुरम, लखनऊ।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।

4. संस्था के उद्देश्य :

1. भारतीय संस्कृति, चिन्तन व दर्शन की मुख्य धारा 'सर्व जन हिताय' वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति जनता को जागृत कर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्रवाद व धार्मिक उन्मादता जैसी संकीर्णता, आतंकवादी व विघटनकारी शक्तियों के षडयन्त्रों को समाप्त करना जिसके लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का मंच तैयार कर उनके द्वारा जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना तथा जाति व सम्प्रदाय विहीन समाज की रचना हेतु प्रयास करना।

2. विश्वबन्धुत्व की भावना को व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव समाज (किसान, व्यवसायी व मजदूर वर्ग) को उनके हित में संगठित कर उनमें पारस्परिक सहयोग एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण पैदा करना।

3. मद्य निषेध व नशीली वस्तुओं के सेवन से जन साधारण को रोकने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकारों के कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना।

4. शिशुओं, बालक, बालिकाओं, महिलाओं व अशिक्षित लोगों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, अनाथालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, सिलाई कढ़ाई व बुनाई आदि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व संचालित करना।

5. विकलांगों, निराश्रित व विधवा महिलाओं के सहायतार्थ सरकार व स्वैच्छिक संस्थाओं से सहयोग व दिलाने व देने तथा उन्हें निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का प्रयास करना। विकलांगों व निराश्रितों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय व [illegible], रेलवे व हवाई यात्रा हेतु पास, [illegible], निःशुल्क मनोरंजन व स्वरोजगार की व्यवस्था करना।

6. प्रतिभाशाली व उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं की समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता आदि की व्यवस्था करना।

7. ग्रामीणों एवं समाज के गरीब जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन-सहन व आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र, निःशुल्क औषधालय, शिक्षा व प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा गाँवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के

क्रमशः....2

सत्य प्रतिलिपि

22-11-2002

President
...dha Lok Kalyan
...nsthan

: 2 :

के लिए कृषि, पशुपालन व बागवानी पर आधारित लघु कुटीर उद्योग
स्थापित करना तथा खादी, ग्रामोद्योग व पंचायत उद्योगों के उन्नयन व
ग्राम्य विकास हेतु कार्य करना।

पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना
8. तथा ऊसर, परती, बंजर, नजूल, गड्ढों, तालाबों, नदियों, नहरों व सड़कों के
किनारे पड़ी बेकार भूमि को उपयोगी बनाना तथा उनपर कृषि, बागवानी,
पशुपालन, वृक्षारोपण, स्कूल, कालेज, चिकित्सालय, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यायामशाला
पाठशाला, सभागार, धर्मशाला, पार्क, शौचालय व महापुरुषों की स्मृति में
स्मारक आदि का निर्माण करना व कराने हेतु प्रयत्न करना। साथ ही भूमि
की बर्बादी व अनुपयोगी कार्यों से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाना।

देश या प्रदेश में आकस्मिक आपदा जैसे- बाढ़, सूखा, युद्ध आदि में राहत
9. राहत कोष/ सरकार जनता को हर संभव सहायता करना।

सफाई मजदूरों की मुक्ति हेतु शौचालयों का निर्माण कराना तथा मलिन
10. बस्तियों व गन्दी टूटी फूटी सड़कों/रास्तों की सफाई व सुधार संबंधी कार्य
करना।

किसानों को नवीन कृषि, उत्तमबीजों, खादों व कृषि उपकरणों की जानकारी
कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र/ शिविर व सेमिनार आदि का आयोजन करना।

संस्थाओं द्वारा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दहेज जैसी कुप्रथा व बढ़ती हुई
12. आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रयास करना एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्य
दल/ एन्टी करप्शन ब्यूरो का गठन कर उनके द्वारा जाँच कराकर सरकार को
रिपोर्ट प्रेषित करना।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत सरकार द्वारा लोग कल्याण संबंधी की जाने
वाली सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में सरकार की मदद /सहयोग करना
तथा जनता को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन व अधिकारों की
रक्षा हेतु जागृत करना और इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों से सहयोग
प्राप्त करना। साथ ही समाज में व्याप्त प्रदूषण से जनसाधारण को
बचाने हेतु उन्हें जागृत करना।

14. जनता को सस्ती, सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करना।

15. संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र - पत्रिकायें, समाचार पत्र, उपयोगी साहित्य
का प्रकाशन करना, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का
आयोजन करना।

क्रमशः......3

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

President
Buddha Lok Kalyan
Avam ... Vikas Sansthan

5- संस्थान के कार्यों के संचालन के प्रबन्धकारिणी समिति(केन्द्रीय) के चुने गये पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्थान के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्थान का कार्य भार सौंपा गया :-

क्र०सं०	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	अखिलेश कुमार मौर्य आत्मज रामेश्वर प्रसाद मौर्य	आलमनगर, लखनऊ	संरक्षक	[illegible]
2.	आर०एस०कुशवाहा, आत्मज श्री [illegible] कुशवाहा,	ई- 2938-राजाजीपुरम, लखनऊ।	अध्यक्ष	जन सेवा
3.	बी० आर० वर्मा, आत्मज श्री हीरा लाल	फिरनीबाग, सदर, शाहजहाँपुर।	उपाध्यक्ष	सेवा निवृत्त
4.	महेश वर्मा, आत्मज स्व०श्री एस० वर्मा	ग्राम-चौकना [illegible], पो०सरदहाबाजार, आजमगढ़।	प्रबन्ध सचिव	कृषि
5.	सुशील कुमार सिंह, आत्मज श्री [illegible] प्रसाद	एफ- 530, राजाजीपुरम, लखनऊ।	अतिरिक्त सचिव	व्यवसाय (दुकान)
6.	ललिता वर्मा आत्मजा चन्द्रदीप	मानस विहार, नवदिप-नगर, लखनऊ।	संगठन सचिव	गृह कार्य
7.	एस०बी०सिंह, आत्मज श्री रघुनन्दन सिंह	ग्राम-चौरा, पो०शाहपुर, जिला-सीतापुर।	प्रचार सचिव	कृषि
8.	श्रीमती बीना पत्नी श्री राम शंकर	अशोक विहार, आलमनगर, लखनऊ।	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
9.	आर०बी० मौर्य, आत्मज श्री आर०डी० मौर्य	ई-3642- राजाजीपुरम	आडीटर	नौकरी
10.	कु० रश्मि आत्मजा श्री काली राम	कालीबाड़ी, सदर, शाहजहाँपुर	कार्यालय सचिव	अध्ययन

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है :-

{आर० एस० कुशवाहा} {बी०आर०वर्मा} {महेश वर्मा}

{सुशील कुमार सिंह} {ललिता वर्मा} {एस०बी०सिंह}

{बीना} {कु० रश्मि} {आर०बी० मौर्य}

दिनांक : अगस्त 25, 1993 ई०

सत्य प्रतिलिपि

President
Mahatama Buddha Lok Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

नियमावली

1- संस्था का नाम : "महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान"

2- संस्था का पूरा पता : ई0 2938 राजाजीपुरम, लखनऊ ।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार ।

परिभाषायें :

(क) "संस्थान " का तात्पर्य "महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान" से होगा ।

(ख) समिति या संस्था का तात्पर्य उन समस्त समितियों एवं संस्थाओं से होगा जो उपरोक्त संस्थान द्वारा संस्थापित एवं संचालित होगी ।

(ग) प्रबन्ध कारिणी समिति का तात्पर्य "महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान" की प्रबन्ध कारिणी से होगा जो केन्द्रीय प्रबन्ध कारिणी समिति होगी ।

(घ) स्थाई कारिणी समिति का तात्पर्य उन समितियों से होगा जो संस्था किसी के लिए गठित होगी ।

5- संस्थान की सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग :

अर्हतायें : जो व्यक्ति संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में अपनी आस्था रखते हों जन हित के कार्यों में रुचि रखते हों तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो अध्यक्ष या प्रबन्ध सचिव के नाम व पते पर निर्धारित प्रार्थना-पत्र भर कर सदस्यता हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें प्रबन्ध सचिव की संस्तुति पर अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात सदस्य बनाया जा सकेगा जिस वर्ग के सदस्य के लिए अनुमोदन किया गया हो ।

संस्थान में निम्न वर्ग के सदस्य होंगे-

(क) संस्थापक सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान की स्थापना के समय स्मृति पत्र में अंकित है, वे संस्थापक सदस्य होंगे ।

(ख) संरक्षक सदस्य: जो व्यक्ति संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक व आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, उन्हें संस्थापक सदस्यों की आम राय से संरक्षक सदस्य बनाया जा सकेगा ।

(ग) आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान को 2001/- का सहयोग एक मुश्त देंगे अथवा अपने विशेष योगदान से संस्थान को विकसित करने में सहयोग करेंगे उन्हें अध्यक्ष के अनुमोदन व प्रबन्ध सचिव के संस्तुति पर आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा ।

(घ) साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान द्वारा निर्धारित (रु0-2 वर्ष) वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे, साधारण सदस्य होंगे ।

सत्य प्रतिलिपि

President
Buddha Lok Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

उप रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, लखनऊ

(द) मनोनीत सदस्य : संस्थान की प्रबन्ध कारिणी उन व्यक्तियों को जिन्हें संस्थान को अपने विशेष सेवा से योगदान करने योग्य समझती हो, मनोनीत सदस्य बना सकती है ।

6- सदस्यता की समाप्ति :
किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्ति उसकी मृत्यु होने, सदस्यता शुल्क न देने, दिवालिया या पागल हो जाने, लगातार तीन मीटिंगों में बिना किसी सूचना एवं औचित्य पूर्ण कारण के अनुपस्थित रहने, संस्थान के धन गबन करने, संस्थान के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर प्रबन्ध कारिणी के 2/3 बहुमत से, की जा सकती है ।

7- संस्थान के अंग :
(क) साधारण सभा
(ख) प्रबन्ध कारिणी समिति
(ग) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

(क) साधारण सभा :
(अ) गठन: सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा गठित होगी ।
(ब) बैठकें : सामान्यत: साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी । आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात प्रबन्ध सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है ।
(स) [illegible] अवधि: साधारण सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक [illegible] सूचना 7 दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी।
(द) [illegible] सदस्यों की संख्या की 1/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी ।
(य) [illegible] वार्षिक अधिवेशन:-
संस्थान प्रतिवर्ष विशेष वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगी जिसकी, तिथि, स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेगा ।
[illegible] साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :
1- [illegible] समिति/कार्यकारिणी द्वारा संचालित [illegible] में सहयोग देना व प्रचार प्रसार करना ।
2- संस्थान के नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन हेतु कार्यकारिणी को लिखित सुझाव देना ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-
(अ) गठन :-संस्थापक/ आजीवन व संरक्षक सदस्यों में से प्रबंधकारिणी समिति का गठन निर्वाचन द्वारा किया जायेगा । जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 9 की होगी । जिसमें अग्रलिखित पद होंगे :-

क्रमश: 3 पर---

सत्य प्रतिलिपि

President
Mahatma Gandhi [illegible] Kalyan [illegible] Gramin Vikas Sansthan

[illegible] रजिस्ट्रार
फिर एवं [illegible] संस्थायें राजस्थान
[illegible] 27.11.2002

10- **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य** :-

1- संरक्षक :- समिति के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु प्रबंधकारिणी समिति को सलाह परामर्श एवं सहयोग देना ।

2- अध्यक्ष :-

1- संस्थान का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा । जिसको प्रबंधकारिणी समिति साधारण सभा एवं केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं व्यवस्था देना होगा ।

2- साधारणतया प्रबंधकारिणी समिति एवं केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें बुलाने के लिए स्थान, तिथि निर्धारित करने हेतु प्रबंध सचिव को निर्देश देना ।

3- किसी विवाद व मत विभाजन के साथ एक निर्णायक मत/ व्यवस्था देना ।

4- समिति के आकस्मिक व्यय हेतु रू01000/- की धनराशि अपने पास रखना ।

5- संस्थान के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी की स्वीकृति देना ।

3- उपाध्यक्ष :- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों, अधिकारों व कर्तव्यों का सम्पादन करना ।

2- अध्यक्ष व प्रबंधसचिव के कार्यों में सहायता करना ।

4- प्रबंध सचिव :-

1- प्रबंध सचिव प्रबंधकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होने के नाते संस्थान के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन का समस्त दायित्वों का निर्वहन करना ।

[illegible] संस्थान के बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करना तथा पदाधिकारियों के द्वारा अथवा डाक से सूचनाएं प्रेषित करना ।

संस्थान की कार्यवाही/एजेण्डा व स्टाक रजिस्टरों के रखरखाव तथा समस्त कार्यवृत्तों के संचालन का दायित्व प्रबंधसचिव का होगा ।

संस्थान के समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव तथा समस्त पत्र व्यवहार व विधि सम्मत कार्यों के दायित्व का निर्वहन करना ।

संस्थान के लिए अनुदान, दान, उपहार, चन्दे आदि एकत्रित करना व आनुषंगिक व्यय हेतु रू01000/- की धनराशि अपने पास रख सकता है ।

6- प्रबंधकारिणी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किसी भी पदाधिकारी/सदस्य अथवा कर्मचारी को अध्यक्ष की अनुमति से अधिकृत कर सकता है ।

सत्य प्रतिलिपि

क्रमशः 5 पर--

डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

लखनऊ

22.11.2002

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।
प्रबन्ध कारिणी समिति के 3/4 बहुमत से संस्थान विघटित किया जा सकता है
विघटन के समय संस्थान के समस्त दायित्वों की पूर्ति के बाद अवशेष सम्पत्ति
/सम्पत्ति किसी सार्वजनिक संस्था कोष/संस्था को किसी रचनात्मक निर्माण
कार्यों हेतु इस शर्त के अधीन दान किया जायेगा जो उस रचनात्मक निर्माण
कार्य में उदारदाता की स्मृति में शिलालेख लगायें ।

17- विविध :

(क) संस्थान के ऋणों की अदायगी का उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी समिति को होगा जो सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों/संस्थाओं व निजी फर्मों से ऋण/अनुदान/दान/उपहार के लिए आवेदन करेगी । उक्त समिति आवश्यकता पड़ने पर अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण/बंधक कर सकती है यदि वह संस्था के हित में हो ।

(ख) प्रबन्ध कारिणी समिति संस्थान द्वारा संचालित या उसके अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं [illegible] के संचालन हेतु [illegible] आवश्यकता अनुभव किये जाने पर अलग-अलग कार्यकारिणी समितियों का गठन कर सकती है । जिनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा जो प्रबन्ध कारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगी । (केन्द्रीय) प्रबन्ध कारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह इन समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य को बिना कारण बताये उनके कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर निलंबित या बर्खास्त कर सकती है । [illegible] संस्थान की प्रबन्ध समिति भविष्य में संस्थान के विकसित करने के उद्देश्य से विशेष व्यवस्था हेतु अपने संस्थापक/आजीवन सदस्यों में से संरक्षक मण्डल का चुनाव भी कर सकती है जिनके अधिकार व कर्तव्य [illegible] कारिणी समिति अपने 2/3 बहुमत से तय करेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

(आर० एस० कुशवाहा) (महेश शर्मा)

(एस० बी० सिंह)

दिनांक अगस्त 25, 1992ई०

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ
22.11.2001

President
[illegible] Lok Kalyan [illegible]than

[illegible]